

न्यायालय जिला कलक्टर करौली
पीठासीन अधिकारी नन्मूल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली - प्रार्थी

बनाम

1. गजराज	}	पिसरान वृन्दावन सिंह	}	जाति गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली
2. रोशन				
3. विजय				
4. रामपति				
5. मेहरो	}	पुत्रियां वृन्दावन सिंह		
6. हरपति				
7. केशपति				
8. पप्पी				
9. निहालसिंह		पुत्र चरणसिंह		

- अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक-31.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 103/2 रकबा 1-12 बीघा, ख.नं. 105 रकबा 1-03 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 1-16 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 103/2 रकबा 1-12 बीघा, ख.नं. 105 रकबा 1-03 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 1-16 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी अब्बल दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2030-2033 तक के खाता संख्या 415 किस्म तालाबी-1 से श्री वृन्दावन सिंह, निहालसिंह, पि. चरणसिंह जाति गूजर निवासी नवलापुरा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में गजराज, रोशन, विजय पि. वृन्दावनसिंह, रामपति, मोहरो, हरपति, केशपति, पप्पी पुत्रियां वृन्दावन सिंह हिस्सा 1/2, निहालसिंह पुत्र चरणसिंह हिस्सा 1/2 जाति गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 103/2 रकबा 1-12 बीघा, ख.नं. 105 रकबा 1-03 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 1-16 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) को वापस राजकीय भूमि तालाबी-1 दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2030-33, 2068-71, 2072-75, नामांतरकरण संख्या 47, नामांतरकरण संख्या 487 दिनांक 06.06.86, नामांतरकरण संख्या 166 दिनांक 26.05.2017 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि नोटिस जिस तरह तहरीर किया गया है, गलत है, स्वीकार नहीं है। तहसीलदार मासलपुर द्वारा गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विवादित जमीन कभी भी तालाबी नहीं रही है। तहसीलदार द्वारा जमाबंदी संवत् 2015 की पेश की है। सम्वत् 2015 सन् 1958 का है जबकि तहसीलदार के स्वयं के प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.08.1947 के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार आदेश किया जाना है। 15.08.47 का कोई रिकॉर्ड तहसीलदार द्वारा पेश नहीं किया गया है। विवादित जमीन सिवायचक काश्ता थी जिस पर हम प्रार्थीगण जवाबदारान अपने बुजुर्गों के समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। श्रीमान् उप जिला कलक्टर महोदय द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर हमारे हक में नियमन किया गया है जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 487 दिनांक 06.06.86 को हमारे हक में खोला गया है और उसी समय से विवादित जमीन पर हम जवाबदारान वहैसियत खातेदार काबिज हैं। नामान्तरकरण संख्या 47 में गैर खातेदार से खातेदारी का खोला गया है। हमारा बदस्तूर कब्जा बुजुर्गों के समय से चला आ रहा है। विवादित जमीन कभी तालाबी नहीं रही है। काश्ता जमीन है। हम जवाबदारान गरीब काश्त पेशा व्यक्ति हैं और विवादित जमीन पर काश्त कर अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। हमारी आय का स्रोत एक मात्र विवादित जमीन ही है। सन् 1970 में स्वयं उपजिला कलक्टर साहब द्वारा मौका व रिकॉर्ड को देख कर नियमन किया है तथा हमारे कब्जे के आधार पर हमारे खातेदारी हकूक दिये गये हैं जिसका पूर्ण ज्ञान लैण्ड होल्डर तहसीलदार को रहा है। इतने दिनों तक तहसीलदार क्यों चुप रहा है, इसका कोई कारण प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किया है। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 103/2 रकबा 1-12 बीघा, ख.नं. 105 रकबा 1-03 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 1-16 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी अब्बल दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2030-2033 तक के खाता संख्या 415 किस्म तालाबी-1 से श्री वृन्दावन सिंह, निहालसिंह, पि. चरणसिंह जाति गूजर निवासी नवलापुरा के नाम जरिये नियमन दर्ज कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।


वकील अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि विवादित जमीन कभी भी तालाबी नहीं रही है। तहसीलदार द्वारा जमाबंदी संवत् 2015 की पेश की है। सम्वत् 2015 सन् 1958 का है जबकि तहसीलदार के स्वयं के प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.08.1947 के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार आदेश किया जाना है। 15.08.47 का कोई रिकॉर्ड तहसीलदार द्वारा पेश नहीं किया गया है। विवादित जमीन सिवायचक काश्ता थी जिस पर हम प्रार्थीगण जवाबदारान अपने बुजुर्गों के समय से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और उसी समय से विवादित जमीन पर हम जवाबदारान वहैसियत खातेदार काबिज हैं। नामान्तरकरण संख्या 47 गैर खातेदार से खातेदारी का खोला गया है। हम जवाबदारान गरीब काश्त पेशा व्यक्ति हैं और विवादित जमीन पर काश्त कर अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। हमारी आय का स्रोत एक मात्र विवादित जमीन ही है। सन् 1970 में स्वयं उपजिला कलक्टर साहब द्वारा मौका व रिकॉर्ड को देख कर नियमन किया है तथा हमारे कब्जे के आधार पर हमारे

खातेदारी हकूक दिये गये है जिसका पूर्ण ज्ञान लैण्ड होल्डर तहसीलदार को रहा है। इतने दिनों तक तहसीलदार क्यों चुप रहा है, इसका कोई कारण प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किया है। अंत में प्रकरण खारिज किये जाने का कथन किया है।

हमने बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 103/2 रकबा 1-12 बीघा, ख.नं. 105 रकबा 1-03 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 1-16 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) किस्म तालाबी अब्बल दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतरण संख्या 47 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 103/2 रकबा 1-12 बीघा, ख.नं. 105 रकबा 1-03 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 1-16 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) श्री वृन्दावन सिंह, निहालसिंह पि. चरणसिंह जाति गूजर निवासी नवलापुरा के नाम स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं० 2072-75 के अनुसार खसरा नंबर 103/2 रकबा 1-12 बीघा, ख.नं. 105 रकबा 1-03 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 1-16 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) गजराज, रोशन, विजय पि. वृन्दावनसिंह, रामपति, मोहरो, हरपति, केशपति, पप्पी पुत्रियां वृन्दावन सिंह हिस्सा 1/2, निहालसिंह पुत्र चरणसिंह हिस्सा 1/2 जाति गूजर निवासी नवलापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में तालाबी अब्बल दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी०बी० सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 103/2 रकबा 1-12 बीघा, ख.नं. 105 रकबा 1-03 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 1-16 बीघा को वापस राजकीय भूमि तालाबी-1 दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नवलापुरा(नवीन राजस्व ग्राम) की आराजी खसरा नंबर 103/2 रकबा 1-12 बीघा, ख.नं. 105 रकबा 1-03 बीघा, ख.नं. 107 रकबा 1-16 बीघा को वापस राजकीय भूमि तालाबी-1 दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली